दिनांक 08.09.2025
प्रेस विज्ञप्ति 10/2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 के निर्देशन में अवैध पटाखा फैक्ट्रियों एवं गोदामों में विस्फोट की घटनाओं की रोकथाम हेतु प्रदेश में चलाया गया ''विशेष अभियान''

श्री राजीव कृष्णा पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 के निर्देशन में **श्री अभिताभ यश** अपर पुलिस महानिदेशक कानून-व्यवस्था उ0प्र0 द्वारा समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक/पुलिस आयुक्त, परिक्षेत्रीय, पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, जनपद प्रभारी उ0प्र0 को प्रदेश में अवैध पटाखा बनाने वाली फैक्ट्रियों एवं गोदामों में विस्फोट की घटनाओं की रोकथाम के सम्बन्ध में पूर्व में विस्तृत दिशा-निर्देश निर्गत किये जा चुके है। उक्त निर्देशों के अनुपालन में **दिनांकः 07.09.2025 से दिनांक 21.09.2025 (15 दिवस)** का **"विशेष अभियान''** चलाकर मुख्यतः निम्नांकित बिन्दुओं पर कार्यवाही के निर्देश दिये गयेः-

- जिन फैक्ट्रियों को लाइसेंस दिया गया है, उन सभी का निरीक्षण संबंधित क्षेत्राधिकारी, उपजिलाधिकारी, थाना प्रभारी और अग्निशमन सेवा की संयुक्त टीम द्वारा किया जाये।
- निरीक्षण की वीडियोग्राफी कराते हुए अपर पुलिस अधीक्षक व अपर जिलाधिकारी, पुलिस आयुक्त/पुलिस उपायुक्त/पुलिस अधीक्षक एवं जिलाधिकारी द्वारा अभिलेखीकरण करके और उनका क्रॉस-सत्यापन भी अवश्य किया जाये।
- आकस्मिक आग की दुर्घटनाओं, खासकर रासायनिक आग से निपटने के लिए तैयारियो की समीक्षा विशेष ध्यान देकर सुनिश्चित करायी जाये।
- प्रत्येक निरीक्षण में दुर्घट्नाओं के समय काम करने वाले कर्मचारियों और प्रबंधकों द्वारा की जाने वाली तैयारियों की भी गहनता पूर्वक जांच / समीक्षा कर तद्नुसार यथोचित कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।
- चेकिंग / निरीक्षण के दौरान बालश्रम की उपस्थिति एवं बालश्रम की किसी भी घटना के मामले में तत्काल नियमानुसार प्रभावी कार्यवाही की जाये।
- किसी भी अवैध या अनाधिकृत कारखानों, भंडारण व अवैध विक्रय/परिवहन की जानकारी के लिए राजस्व अधिकारियों, सम्बन्धित थाना और स्थानीय सूचना इकाई द्वारा गोपनीय रूप से जानकारी एकत्र की जाये।

- अवैध फैक्ट्री/भण्डारण पाये जाने की स्थिति में सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत उन्हें बंद करने के सम्बन्ध में तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।
- पटाखों के भण्डारण और बिक्री के स्थान उनके लाईसेंस/अनुमति के आधार पर निर्धारित / चिन्हित स्थानों पर ही हो, अन्यथा उनके विरूद्ध समुचित वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।
- बिक्री के प्रत्येक स्थान को स्पष्ट रूप से चिह्नित और सीमांकित करते हुए आबादी और व्यस्त बाजार / रिहाइशी इलाकों से उचित दूरी पर व्यस्थापित किया जाये।
- यह विशेष रूप से ध्यान रखा जाये कि छोटे / पार्ट टाइम विक्रेताओं को जाँच के दौरान अनावश्यक रूप से परेशान न किया जाये।
- उक्त कार्यवाही के पश्चात भविष्य में यदि आग, विस्फोट जैसी कोई घटना होती है तो संबंधित चौकी प्रभारी, बीट प्रभारी, थाना प्रभारी और वरिष्ठ अधिकारियों का उत्तरदायित्व निर्धारित करके तद्नुसार उनके विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही की जाये।

उपरोक्त दिशा-निर्देशो का सम्यक अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

दिनांक 08.09.2025
प्रेस विज्ञप्ति 11/2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद बस्ती/थाना नगर

- **पुलिस कार्यवाही में 25–25 हजार रूपये के 02 पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **नगद रूपये, 02 मोबाइल फोन**
- **02 अवैध तमंचा मय कारतूस**
- **01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट) बरामद**

दिनांक 08.09.2025 को थाना नगर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर कुढ़ापट्टी से आगे नहर पुलिया के पास बदमाशों की घेराबन्दी की गई तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। बदमाशों द्वारा की गई फायरिंग में थानाध्यक्ष नगर घायल हो गये। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त 1–सुनील 2–पंकज घायल हो गये, जिन्हे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से नगद रूपये, 02 मोबाइल फोन, 02 अवैध तमंचा मय कारतूस, 01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट) बरामद हुई। घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जो थाना नगर पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25–25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना नगर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–सुनील निवासी ग्राम कठौतिया थाना दुबौलिया जनपद बस्ती।

2–पंकज निवासी ग्राम कलवारी मुस्तहकम थाना कलवारी जनपद बस्ती।

बरामदगी

1—नगद रूपये, 02 मोबाइल फोन।

2—02 अवैध तमंचा मय कारतूस।

3—01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट)।

कमिश्नरेट लखनऊ/थाना ठाकुरगंज

- **06 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 21 दो पहिया वाहन आदि बरामद**

दिनांक 07.09.2025 को थाना ठाकुरगंज पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर बरी रोड जंगल के पास से 06 अभियुक्तों 1—जुनैद 2—अरस 3—वंश 4—राहुल 5—सलमान 6—जावेद को गिरफ्तार किया गया एवं एक बाल अपचारी को पुलिस संरक्षण में लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 21 दो पहिया वाहन आदि बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना ठाकुरगंज पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—जुनैद निवासी हरइया थाना सदरपुर जनपद सीतापुर, हालपता अहमदगंज पजावा थाना ठाकुरगंज कमिश्नरेट लखनऊ।

2—अरस निवासी परसपुर मुगलनपुरवा थाना रेऊसा जनपद सीतापुर, हालपता सज्जादबाग थाना ठाकुरगंज कमिश्नरेट लखनऊ।

3—वंश निवासी बड़ा चौराहा सदरपुर थाना सदरपुर जनपद सीतापुर।

4—राहुल निवासी बड़ा चौराहा सदरपुर थाना सदरपुर जनपद सीतापुर।

5—सलमान निवासी जलालपुर थाना बिसवां जनपद सीतापुर, हालपता हुसैनाबाद थाना ठाकुरगंज कमिश्नरेट लखनऊ।

6—जावेद निवासी हरइया थाना सदरपुर जनपद सीतापुर, हालपता अहमदगंज पजावा थाना ठाकुरगंज कमिश्नरेट लखनऊ।

बरामदगी

1—चोरी की 21 दो पहिया वाहन आदि।

जनपद मुजफ्फरनगर/थाना शाहपुर

- **पुलिस कार्यवाही में अवैध शस्त्र तस्करी कर रहे 02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **03 अवैध पिस्टल मय 08 जीवित कारतूस**
- **07 अवैध तमंचा मय 11 जीवित, 01 खोखा कारतूस विभिन्न बोर**
- **03 मोबाइल फोन आदि बरामद**

दिनांक 08.09.2025 को थाना शाहपुर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर पुलिस कार्यवाही में अवैध शस्त्र तस्करी कर रहे 02 अभियुक्तों 1–प्रणव 2–अनस को गिरफ्तार किया गया एवं एक बाल अपचारी को पुलिस संरक्षण में लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 03 अवैध पिस्टल मय 08 जीवित कारतूस, 07 अवैध तमंचा मय 11 जीवित, 01 खोखा कारतूस विभिन्न बोर, 03 मोबाइल फोन आदि बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना शाहपुर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–प्रणव निवासी ग्राम खेडा जट थाना मंगलौर हरिद्वार उत्तराखण्ड।

2–अनस निवासी तासीपुर थाना मंगलौर हरिद्वार उत्तराखण्ड।

बरामदगी

1–03 अवैध पिस्टल मय 08 जीवित कारतूस।

2–07 अवैध तमंचा मय 11 जीवित, 01 खोखा कारतूस विभिन्न बोर।

3–03 मोबाइल फोन आदि।

जनपद बरेली/थाना फरीदपुर

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 01 करोड़ रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 03 किलोग्राम अवैध अफीम**
- **01 मोबाइल फोन**
- **01 कार, 01 मोटर साइकिल आदि बरामद**

दिनांक 07.09.2025 को थाना फरीदपुर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर राजमहल होटल के पास से 02 अभियुक्तों 1– फिरोज 2– मो0इमरान को गिरफ्तार

किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 01 करोड़ रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 03 किलोग्राम अवैध अफीम, 01 मोबाइल फोन, 01 कार, 01 मोटर साइकिल आदि बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना फरीदपुर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–फिरोज निवासी मो0 भूरे खां गौटिया थाना फरीदपुर जनपद बरेली।

2–मो0इमरान निवासी मो0मिर्धान थाना फरीदपुर जनपद बरेली।

बरामदगी

1–लगभग 01 करोड़ रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 03 किलोग्राम अवैध अफीम।

2–01 मोबाइल फोन।

3–01 कार, 01 मोटर साइकिल आदि।

कमिश्नरेट लखनऊ/थाना बीकेटी

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 11 मोटर साइकिल**
- **चोरी की मोटर साइकिल के 02 इंजन, 03 चेचिंस आदि बरामद**

दिनांक 07.09.2025 को थाना बीकेटी व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर बायोटेक नेटवर्किग फैसलेटी केन्द्र विज्ञान के पास से 02 अभियुक्तों 1–वीरू उर्फ जावेद 2–जान मोहम्मद को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 11 मोटर साइकिल, चोरी की मोटर साइकिल के 02 इंजन, 03 चेचिंस आदि बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना बीकेटी पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–वीरू उर्फ जावेद निवासी संतनगर थाना सिधौली जनपद सीतापुर।

2–जान मोहम्मद निवासी मोज्जमपुर थाना महमूदाबाद जनपद सीतापुर।

बरामदगी

1—चोरी की 11 मोटर साइकिल।

2—चोरी की मोटर साइकिल के 02 इंजन, 03 चेचिंस आदि।

जनपद बरेली/थाना इज्जतनगर

- **01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 किलो 10 ग्राम अवैध चरस**
- **नगद रूपये आदि बरामद**

दिनांक 08.09.2025 को थाना इज्जतनगर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर विलय धाम के पास से अभियुक्त रोहित को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जेधनिशादेही से 01 किलो 10 ग्राम अवैध चरस नगद रूपये आदि बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना इज्जतनगर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—रोहित निवासी छोटी बमनपुरी थाना किला जनपद बरेली।

बरामदगी

1—01 किलो 10 ग्राम अवैध चरस।

2—नगद रूपये आदि।

➢ **जनपद बहराइच/थाना हुजूरपुर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व 01 लाख रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद बहराइच पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बहराइच द्वारा थाना हुजूरपुर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 8¼20 एनडीपीएस एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त बाबू पासवान को 10 वर्ष के सश्रम कारावास व 01 लाख रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

————